



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17082020-221159
CG-DL-W-17082020-221159

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 15—अगस्त 21, 2020 (श्रावण 24, 1942)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 15—AUGUST 21, 2020 (SRAVANA 24, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	465
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	523
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1343
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को	

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	943
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	69
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	931
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	465	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	523	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1343	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	943
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	69
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	931
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जून 2020

सं. 20012/02/2019-रा.भा.(नीति)—राज्यसभा सचिवालय के कार्यालय ज्ञापन सं. RS.5(1)/2016-Coord. दिनांक 13.03.2020 के अनुसरण में राज्यसभा के निम्नलिखित माननीय संसद सदस्य को संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है :—

1. सुश्री सरोज पांडेय

मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव (राजभाषा)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2020

विषय : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विभिन्न प्राधिकरणों एवं संगठनों के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनःसंगठन।

सं. I-5/2013-आरओएचक्यू—पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) के अधिदेशों से संबंधित परिणाम उन्नत, समयोचित एवं प्रभावकारी ढंग से हासिल करने, और इस प्रयोजन से इसकी आउटरीच को हितधारकों तक और अधिक बढ़ाने, समन्वित कार्यवाई करने और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को इष्टतम करने के उद्देश्य से, सक्षम प्राधिकारी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 19 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों (आईआरओ) की स्थापना हेतु अनुमोदन दिया है। इन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना, आरओएचक्यू प्रभाग के 10 क्षेत्रीय कार्यालयों, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के 3 क्षेत्रीय केंद्रों, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) के 5 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं 3 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध मानव एवं अन्य संसाधनों की पुनःतैनाती के माध्यम से एकीकृत रीति से और उनके अतिरिक्त सुदृढीकरण हेतु की जाएगी। इस प्रकार, प्रत्येक आईआरओ को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एफएसआई, एनटीसीए, सीजेडए और डब्ल्यूसीसीबी के मौजूदा क्षेत्रीय कार्यालयों/क्षेत्रीय केंद्रों से प्रतिनिधित्व, समय-समय पर यथा उपलब्ध होगा।

2. इस संबंध में पूर्व के सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, अब से प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (आईआरओ) को निम्नलिखित ढंग से उसके मुख्यालय के नाम से जाना जाएगा, “एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (मुख्यालय का नाम)। 19 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालय एवं क्षेत्राधिकार निम्नवत् होंगे :—

क्रम सं.	आईआरओ का मुख्यालय	क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
(i)	शिलांग	मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा
(ii)	रांची	झारखंड, बिहार
(iii)	भुवनेश्वर	ओडिशा
(iv)	बेंगलुरु	कर्नाटक, केरल, गोवा, लक्षद्वीप

(v)	चैन्ने	तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
(vi)	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
(vii)	भोपाल	मध्य प्रदेश
(viii)	नागपुर	महाराष्ट्र
(ix)	चंडीगढ़	चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब
(x)	देहरादून	उत्तराखंड
(xi)	जयपुर	राजस्थान, दिल्ली
(xii)	गांधी नगर	गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली
(xiii)	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
(xiv)	रायपुर	छत्तीसगढ़
(xv)	हैदराबाद	तेलंगाना
(xvi)	शिमला	हिमाचल प्रदेश
(xvii)	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम
(xviii)	गुवाहाटी	असम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश
(xix)	जम्मू	लद्दाख, जम्मू और कश्मीर

3. 19 आईआरओ की कुल स्वीकृत कार्मिक संख्या में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (कुल 319), एफएसआई (कुल 300), एनटीसीए (कुल 6), सीजेडए (कुल 4) और डब्ल्यूसीसीबी (कुल 74) के क्षेत्रीय कार्यालयों/केन्द्रों की मौजूदा स्वीकृत कार्मिक संख्या शामिल होगी। प्रत्येक आईआरओ के प्रमुख को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का "क्षेत्रीय अधिकारी" कहा जाएगा।

4. उपरोक्त 19 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों (आईआरओ) में से प्रत्येक, समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार (कार्य नियतन) नियम, 1961 में निर्धारित किए गए इस मंत्रालय के अधिदेश से संबंधित परिणामों की प्राप्ति हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एकीकृत क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करेगा। तदनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मौजूदा क्षेत्रीय कार्यालयों/केन्द्रों या इसके संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों/बोर्डों/ब्यूरो/प्राधिकरणों में पहले से सौंपे गए कामों, कर्तव्यों या कार्यों के निर्वहन के अलावा, आईआरओ के अधिकारी और कर्मचारियों क्षेत्रीय अधिकारियों या अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा यथा निदेशित द्वारा उपरोक्त उत्तरदायित्वों को एकीकृत और समन्वित रीति से पूरा करने के लिए अन्य कार्यवाहियां, काम और कार्य किए जाएंगे।

5. क्षेत्रीय अधिकारियों की तैनाती, आईआरओ के प्रशासनिक कार्य ढांचे, कर्मचारियों की तैनाती, परिसम्पत्तियों के वितरण, बजट आबंटन और आनुषंगिक मामलों के संबंध में आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

6. ये आईआरओ दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 से कार्य करना आरंभ करेंगे।

7. इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंतरिक वित्त प्रभाग द्वारा दिनांक 16.07.2020 की डायरी संख्या 136776 के द्वारा प्रदान की गई सहमति और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अभिजीत राँय
अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi-110001, the 30th June 2020

No. 20012/02/2019-OL(Policy)—In pursuance of the Office Memorandum No. RS.5(1)/2016 dated 13.03.2020 of the Rajya Sabha Secretariat, the following Hon'ble Member of the Rajya Sabha is appointed as the Member of the Parliamentary Committee on Official Language :—

1. Ms. Saroj Pandey

MEENAKSHI JOLLY
Joint Secretary (OL)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 13th August 2020

Subject:- Reorganization of Regional/Sub-regional offices of various authorities and organization of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

No. 1-5/2013-ROHQ—With a view to achieving outcomes related to the mandates of Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) in an improved, timely and effective manner, and for this purpose to further enhance its outreach to stakeholders, undertake coordinated action and optimize the utilization of available resources, the competent authority has approved establishment of 19 Integrated Regional Offices (IROs) of the MoEF&CC. The IROs shall be established through redeployment of human and other resources available with 10 Regional Offices of ROHQ Division, 4 Regional Offices of Forest Survey of India (FSI), 3 Regional Centre of National Tiger Conservation Authority (NTCA), 4 Regional Offices of Central Zoo Authority (CZA) and 5 Regional Offices & 3 Sub-regional Offices of Wildlife Crime Control Bureau (WCCB) in an integrated manner, and their further strengthening. Thus, each IRO shall have representation from existing Regional Office/Regional Centre of MoEF&CC, FSI, NTCA, CZA and WCCB as available to them from time to time.

2. Each of the Integrated Regional Offices (IROs) shall be henceforth named after its headquarter in the following manner: “Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, ...(name of the headquarter)” in supersession to all previous orders in this regard. The headquarters and jurisdictions of the 19 IROs shall be as under:—

Sl. No.	Headquarter of IRO	States and UTs under jurisdiction
(i)	Shillong	Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura
(ii)	Ranchi	Jharkhand, Bihar
(iii)	Bhubaneswar	Odisha
(iv)	Bengaluru	Karnataka, Kerala, Goa, Lakshadweep
(v)	Chennai	Tamil Nadu, Puducherry, A&N Islands
(vi)	Lucknow	Uttar Pradesh
(vii)	Bhopal	Madhya Pradesh
(viii)	Nagpur	Maharashtra
(ix)	Chandigarh	Chandigarh, Haryana, Punjab
(x)	Dehradun	Uttarakhand
(xi)	Jaipur	Rajasthan, Delhi
(xii)	Gandhi Nagar	Gujarat, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli
(xiii)	Vijayawada	Andhra Pradesh
(xiv)	Raipur	Chhattisgarh
(xv)	Hyderabad	Telangana
(xvi)	Shimla	Himachal Pradesh
(xvii)	Kolkata	West Bengal, Sikkim
(xviii)	Guwahati	Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh
(xix)	Jammu	Ladakh, Jammu & Kashmir

3. The strength of the 19 IROs will comprise of the existing sanctioned strength of the regional offices/centres of MoEF&CC (319 nos.), FSI (300 nos.), NTCA (6 nos.), CZA (4 nos.) and WCCB (74 nos.). The head of each of the IRO will be called “Regional Officer” of MoEF&CC.

4. Each of the above 19 Integrated Regional Offices (IROs) shall work as an integrated regional unit of the MoEF&CC in achieving the outcomes related to the mandate of this Ministry enumerated in Government of India (Allocation of Business) Rules 1961 as modified from time to time. Accordingly, officers and staff of the IROs in addition to carrying out functions, duties and work already assigned to them in their respective existing regional offices/centres of MoEF&CC or its respective subordinate offices/boards/bureaus/authorities, shall undertake other actions, functions and works in the fulfilment of above responsibilities in an integrated and coordinated manner as directed by the Regional Officers or by the other competent authority.

5. The orders relating to posting of Regional Officers, the administrative set-up of the IROs, deployment of staff, and assets, budget allocation and ancillary matters will be issued separately.

6. These IROs shall start functioning w.e.f. 1st October, 2020.

7. This issues with the concurrence of Internal Finance Division of MoEF&CC vide Dy No. 136776 dated 16.07.2020 and the approval of the Competent Authority.

ABHIJIT ROY
Under Secretary